

75 अफसरों को साक्ष्य संकलन की बारीकियां और कानून बताए

दधीचि प्रशिक्षण हाल में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन

क्राइमरिपोर्टर | दुर्ग

एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों की विवेचना को अधिक प्रभावी और विधिसम्मत बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों और विवेचकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न थानों से लगभग 75 अधिकारी शामिल हुए।

पुरानी पुलिस लाइन दुर्ग स्थित दधीचि प्रशिक्षण हाल में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान आईजी दुर्ग रेंज अभिषेक शांडिल्य ने एनडीपीएस प्रकरणों में केस-स्टडी के माध्यम से विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने पर जोर दिया। डीआईजी और एसएसपी विजय अग्रवाल ने नशीली टेबलेट और कैप्सूल से जुड़े मामलों में जांच के दौरान विशेष सावधानियां बरतने तथा विवेचना को मजबूत



एनडीपीएस एक्ट की विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने प्रशिक्षण आयोजित किया।

बनाने के उपाय बताए। डिप्टी डायरेक्टर (प्रॉसिक्यूशन) भीम सिंह राजपूत ने धारा 50 के प्रावधानों के पालन, जप्तशुदा मादक पदार्थ को शीघ्र एफएसएल भेजने, जप्त माल की सुरक्षित अभिरक्षा और चेन ऑफ कस्टडी पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के उपयोग पर भी प्रकाश डाला गया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) सुनीता टोप्पो ने सूक्ष्म साक्ष्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की शुद्धता के महत्व पर बल दिया, वहीं न्यायिक

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कश्यप ने विवेचकों को न्यायालयीन अपेक्षाओं के अनुरूप विवेचना करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया। एफएसएल भिलाई के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पंकज ताम्रकार ने सैंपलिंग प्रक्रिया एवं घटनास्थल पर त्रुटिरहित दस्तावेज तैयार करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया। एसपी ग्रामीण मणिशंकर चन्द्रा ने विवेचना से लेकर एफएसएल भेजने तक चेन ऑफ कस्टडी की प्रक्रिया पर जानकारी साझा की।